कृषि नवाचार

ISSN: 3048-6092
https://www.krishinavachar.in
खण्ड 03 भाग 05 अगस्त, 2026

फल एवं सब्ज़ी मूल्य संवर्धन: ग्रामीण किसानों की आय वृद्धि हेतु एक प्रभावी रणनीति

अंश [1*]

[1]बी.एससी. (ऑनर्स) कम्युनिटी साइंस, भा.कृ.अनु.प. - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
***E-mail: ansh.iari100212@gmail.com**

भारत फल और सब्ज़ी उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है, फिर भी भंडारण, प्रसंस्करण और बाज़ार तक पहुँच की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यह लेख बताता है कि फल-सब्ज़ी मूल्य संवर्धन यानी कच्ची उपज को प्रसंस्कृत या अर्ध-प्रसंस्कृत उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया किस तरह किसानों की आय बढ़ाने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने का साधन बन सकती है। साथ ही सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) जैसी योजनाओं की भूमिका को भी समझाया गया है।

भारत फल और सब्जियों के उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है, लेकिन फिर भी किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसका कारण भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की कमी है। इस लेख में बताया गया है कि फल-सब्जियों के मूल्य संवर्धन यानी उन्हें प्रसंस्कृत या अर्ध-प्रसंस्कृत उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया किसानों की आय बढ़ाने, कटाई के बाद के नुकसान कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। साथ ही सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) जैसी योजनाओं की भूमिका के बारे में भी बताया गया है।

भूमिका

भारत में बागवानी क्षेत्र यानी फल, सब्जियां, मसाले और फूलों की खेती देश की कृषि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुका है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में लगभग 35.52 करोड़ टन बागवानी उपज उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसमें 11.20 करोड़ टन फल और 20.93 करोड़ टन सब्जियां शामिल हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस उपज का केवल दस प्रतिशत हिस्सा ही प्रसंस्कृत होता है। बाकी उपज ताजा रूप में बेची जाती है या नुकसान हो जाती है। मूल्य संवर्धन एक अच्छा अवसर हो सकता है जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है।

समस्या की गंभीरता: कटाई के बाद होने वाला नुकसा

फल और सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। कटाई के बाद इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और फफूंद या बैक्टीरिया के कारण संक्रमण हो सकता है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के अनुसार अच्छी कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण देश में लगभग पंद्रह से बीस प्रतिशत फल और सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं।

मूल्य संवर्धन का अर्थ और महत्व

मूल्य संवर्धन का मतलब है कच्ची उपज को उसके मूल्य में बढ़ाना। उदाहरण के लिए टमाटर को प्यूरी या केचअप में बदल देने से इसकी कीमत बढ़ जाती है और रखे रहने की अवधि भी लंबी हो जाती है। इससे किसानों के लिए तीन फायदे होते हैं: उपज की बर्बादी कम होती है, उत्पाद की कीमत बढ़ती है और गांव में रोजगार बनता है।

मूल्य संवर्धन की मुख्य तकनीकें

सब्जियों के मूल्य संवर्धन की मुख्य तकनीकें

- टमाटर के प्यूरी, सॉस और केचअप बनाना
- प्याज और लहसुन के पाउडर बनाना
- आलू से चिप्स और फ्लेक्स बनाना
- मशरूम के पाउडर या अचार बनाना
- फ्रॉज़न सब्जियां बनाना

फलों के मूल्य संवर्धन की मुख्य तकनीकें

- जैम, जेली और मुरब्बा बनाना
- फलों का पल्प और जूस निकालना
- फलों को ड्राई करके सूखे मेवे बनाना
- फलों से स्क्वैश और सिरप बनाना

तकनीकी नवाचार जो मूल्य संवर्धन को सुलभ बना रहे हैं

- सौर ड्रायर तकनीक पर निर्भर होती है।
- कोल्ड चेन और भंडारण ढांचा फल-सब्जियों को ठंडी और नियंत्रित स्थितियों में ले जाता है।
- मॉडिफाइड एटमॉस्फियर पैकेजिंग फल-सब्जियों को ताज़ा रखता है।
- छोटी प्रसंस्करण इकाइयां भी अब आसानी से उपलब्ध हैं।

आय और पोषण पर प्रभाव

- मूल्य संवर्धन से किसान की आय बढ़ती है और गांव में रोजगार बनता है। पोषण की दृष्टि से, ठीक तरह से प्रसंस्करण करने से फल-सब्जियों के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं।

सरकारी योजनाएं और संस्थागत सहयोग

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) किसानों को सहायता देती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को बेहतर तकनीक और बाजार तक पहुंच मिलती है। इसके बाद भी अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं।

चुनौतियाँ

- छोटे किसानों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती।
- तकनीकी ज्ञान की कमी होती है।
- बिजली और भंडारण सुविधाओं की कमी होती है।
- बाजार की कमी होती है।
- खाद्य सुरक्षा मानकों की जटिलता होती है।

सुझाव

- एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामूहिक प्रसंस्करण इकाइयां बनाई जाए।
- पीएमएफएमई की जानकारी गांव में पहुंचाई जाए।
- कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
- स्थानीय स्तर पर छोटे कोल्ड स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों को बढ़ावा दिया जाए।
- ई-नाम जैसी डिजिटल मंडी व्यवस्था का उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

मूल्य संवर्धन एक अहम विकल्प है जिससे किसान अपनी उपज को मूल्यवान उत्पाद के रूप में बाजार में उतार सकते हैं। इसके लिए सामूहिक प्रयास और सही तकनीक की आवश्यकता होती है।

संदर्भ:-

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार- वर्ष 2023-24 के लिए बागवानी फसलों के उत्पादन के अनुमान संबंधी प्रेस विज्ञप्ति, पीआईबी (pib.gov.in)।
2. किसान तक- "देश में 20 फीसदी फल-सब्जियां बर्बाद, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की कमी बनी बड़ी वजह", भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशक डॉ. टी.के. बेहरा के हवाले से, kisantak.in।
3. माईगव (MyGov) पोर्टल- "फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला में फसल कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में कमी कैसे लाएं", केंद्रीय कटाई-उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट), लुधियाना, आईसीएआर के अध्ययन पर आधारित, secure.mygov.in।
4. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)- "ताजे फल और सब्जियाँ", apeda.gov.in।
5. संस्कृति आईएएस- "भारत में बागवानी क्षेत्र: संभावनाएँ, चुनौतियाँ और सरकारी पहल", फसल-बाद हानि के आँकड़े एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन विवरण सहित, sanskritiias.com।
6. गाँव कनेक्शन (Gaon Junction)- "Explained: अनाज, फल से सब्जियों तक, कटाई के बाद भारत में उपज की कितनी बर्बादी होती है?", खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के संदर्भ सहित, gaonjunction.com।
7. गाँव कनेक्शन (Gaon Junction)- "भारत में फल-सब्जी उत्पादन: अब आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ने का समय", कृषि मंत्रालय के 2023-24 प्रथम अग्रिम अनुमान पर आधारित, gaonjunction.com।
8. दृष्टि आईएएस (Drishti IAS)- "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई)", drishtiias.com।
9. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), भारत सरकार- पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण, सब्सिडी एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों के आँकड़े, pib.gov.in।
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार- पीएमएफएमई योजना पुस्तिका, mofpi.gov.in।